FORM OF ORDER SHEET

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court U/s 144 or P.C.	Office action take with date
1	2	3	4
	5·3·19	न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, श्री बंशीधर नगर विविध वाद 4/017 व्योम द्विवेदी प्रति रूद्र प्रताप द्विवेदी **आदेश** उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा उनकी ओर से दाखिल लिखीत बहस का अवलोकन किया आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि ये केवाला का कुल जरसमन की राशि वो उसकी दस प्रतिशत राशि गढ़वा कोषागार मे जामा कर मूल केवाला के चालान के साथ निर्धारित अवधि के अन्दर यह वाद दायर किए है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है आवेदक प्रश्नगत भूमि के सह हिस्सेदार एवं चौहदीदार रैयत दोनो है यह भूमि स्व0 दमड़ी द्विवेदी की थी जिनके पॉच पुत्र है अम्बिका द्विवेदी , रूद्रप्रताप द्विवेदी अवध किशोर द्विवेदी, वेंक्टेश्वर द्विवेदी, सूर्य प्रताप द्विवेदी। आवेदक अवध किशोर द्विवेदी के पुत्र है जबकि विपक्षी विक्रेता आवेदक के चाचा रूद्र प्रताप द्विवेदी है। लगान रसीद विपक्षी विक्रेता के पिता एवं आवेदक के स्व0 दादा दमड़ी द्विवेदी के नाम कटती है, वंशवृक्ष एवं लगान रसीद से प्रमाणित हो जाता है कि आवेदक प्रश्नगत भूमि लगान रसीद से प्रमाणित हो जाता है कि आवेदक प्रश्नगत भूमि के सह हिस्सेदार एवं चौहदीदार रैयत दोनो है जबकि विपक्षी केता न तो सह हिस्सेदार है आर न तो चौहदीदार रैयत । विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी केता ने कुल जरसमन देकर मकान बनाने हेतू कय किया है आवेदक के द्वारा परेशान करने के उदेश्य से यह वाद दायर किया गया है विपक्षी के द्वारा बताया कि दमड़ी द्विवेदी के पुत्र के बीच बॅटवारा हो गया है , विपक्षी भूमिहिन है। उभय पक्ष को सुना तथा आवेदक की ओर से दाखिल कागजातो तथा उभय पक्ष के लिखीत बहस का अवलोकन किया। आवेदक के द्वारा दी गई वंशावली एवं विपक्षी के द्वारा दी गई वंशावली एक है जिससे स्पस्ट होता	

है कि आवेदक स्व0 दमड़ी द्विवेदी के पोता है , जबकि विपक्षी विक्रेता स्व0 दमड़ी द्विवेदी के पुत्र है लगान रसीद स्व0 दमड़ी द्विवेदी के नाम से कटती है जिससे प्रमाणित होता है कि आवेदक प्रश्नगत भूमि के सह हिस्सेदार एवं चौहदीदार रैयत दोनो है जबकि विपक्षी क्रेता न तो सह हिस्सेदार है और न ही चौहदीदार रैयत है। अतः आवेदक के द्वारा दाखिल धारा 16 (3) के तहत दाखिल आवेदन को स्वीकृत करते हुए विपक्षी क्रेता को आदेश दिया जाता है कि धारा 16 (3) (iii) के प्रावधानो के तहत केवाला मे वर्णित शर्तो के अनुरूप आदेश पारित होने के एक माह के अन्दर आवेदक के पक्ष मे केवाला का निष्पादन कर दे।

अतः इस वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
श्री बंशीधर नगर

लेखापित एवं संशाधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
श्री बंशीधर नगर